

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 225/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/357)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. दलवीर सिंह पुत्र चानन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 20.11.2024

उपस्थित: 1.श्री कृष्ण कुमार परूथी अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 02.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 49 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/36 के मुख्या नम्बर 24, 37 की कुल 3.302 हेक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी का नाम दलवीर सिंह पुत्र चनन सिंह अंकित है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में नाम दलवीर सिंह पुत्र चानन सिंह अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि का हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके हैं, जिनका दस्तावेजों के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/36 में वादी के अंकित नाम दलवीर सिंह पुत्र चनन सिंह स्थान पर दलवीर सिंह पुत्र चानन सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 3722 दिनांक 10.12.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 49 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42 में दलवीर सिंह पुत्र चनन सिंह के नाम 3.302 हेक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर फर्दमौका बनाया गया जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि दलवीर सिंह पुत्र चनन सिंह व दलवीर सिंह पुत्र चानन सिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 49 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42 की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भूअभिलेख 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर

की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/36 में प्रकित नाम दलवीर सिंह पुत्र चनन सिंह के स्थान पर दलवीर सिंह पुत्र चानन सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति में नाम दलवीर सिंह पुत्र चानन सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 49 एफ की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42 में दलवीर सिंह पुत्र चनन सिंह के नाम 3.302 हैक्टर पर भूमि दर्ज यत्न रिपोर्ट है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर फर्दमोका बनाया गया जिसमें उपस्थित नतीजा बताया कि दलवीर सिंह पुत्र चनन सिंह व दलवीर सिंह पुत्र चानन सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। सरपंच ग्राम पंचायत 50 एफ रूपनगर के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार दलवीर सिंह पुत्र चनन सिंह व दलवीर सिंह पुत्र चानन सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत 50 एफ रूपनगर के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

—आदेश—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ. नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/36 में अंकित नाम दलवीर सिंह पुत्र चनन सिंह के स्थान पर दलवीर सिंह पुत्र चानन सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पटवेन (राजस्व) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पटवेन (राजस्व) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर



अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्दा दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

दलबीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आस्टीए, 136 एनआरएफ
मुकदमा नम्बर 225/2024

निर्णय दिनांक :- 02.01.2025

यह मुकदमा आज वारते इनाफिसाल कतई रुबस उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परुथी उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 42/36 में अंकित नाम दलबीर सिंह पुत्र चनन सिंह के स्थान पर दलबीर सिंह पुत्र चानन सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 02.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 02.01.2025

क्रमांक: रीडर/2024/7

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

